संख्या-26 /2018/797/30-3-18-04बी/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 15 मार्च, 2018**

विषय- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में जनपद-गोरखपुर एवं वाराणसी में ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था का नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आईटी), उ0प्र0 के पत्र संख्या-282स0सु0/2018-78स0सु0/ 2017, दिनांक 09-03-2018 व पत्र संख्या-285स0सु0/2018-78स0सु0/2017, दिनांक 12-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गोरखपुर एवं वाराणसी में ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु लोक निर्माण विभाग को एतदद्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नामित कार्यदायी संस्था से प्रदेश के जनपद-गोरखपुर एवं वाराणसी में ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु स्पेशिफिक डिजाइन पर आधारित आगणन प्राप्त कर 02 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-26/2018/797(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
2- अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आईटी), उ0प्र0।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर एवं वाराणसी।
5- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- लोक निर्माण विभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in